परियोजना का नाम--जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अर्न्तगत सरस्वती मंदिर ढूॅगाधारा मोटर मार्ग दरबारी नगर तक विस्तार लम्बाई– 1.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.1

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एव आवश्यकता

इस मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 2195/(1)/III(2)13–47 (प्रा0आ0) 2013 दि0 22.03.2013 के द्वारा 1.00कि0मी लम्बाई हेतु रू 12.60 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। यह मोटर मार्ग आरक्षित वन से होकर गुजरेगा क्योंकि इसके आस पास ढुगाधारा की घनी आबादी है, मोटर मार्ग हेतु निजी भूमि दिये जाने में स्थानीय जनता द्वारा आपत्ति की जा रही है। मोटर मार्ग के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे।

संरेखण न0–1(लाल रंग से):– इस संरेखण को नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 1.00 कि0मी0 आती है।

संरेखण न0–2(नीले रंग से):– इस संरेखण को नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 1.00 कि0मी0 आती है।

इस संरेखण में नाप भूमि प्रभावित हो रही है। जिसे मोटर मार्ग हेतु दिये जाने में स्थानीय जनता द्वारा आपत्ति की जा रही है। यह संरेखण तकनीकी दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। जिस कारण संरेखण सं0 2 को निरस्त किया गया।

अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता, ढाल न्यूनतम वृक्षों की क्षति तथा आर्थिक व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुऐ संरेखण सं0 1(लाल रंग से) उपयुक्त पाया गया है इसी संरेखण पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। तदनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन किया गया है। अतः लो0नि0वि0 के पक्ष में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अमीन प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ट अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा